


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/5224 /
II-14-72/17

जबलपुर, दिनांक 02/10/2018

कु. हेमलता भारती, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर को प्रकरण क्रिमिनल रिवीजन क्रमांक 630/2013 (अमरदीप गुर्जर विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन) गुम होने की त्रुटि एवं उक्त प्रकरण मिल जाने (traced out) के फलस्वरूप रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ई/8722/दो-14-72/17, जबलपुर दिनांक 06.11.2017 द्वारा जारी विभागीय जांच की कार्यवाही बंद (Dropped) करते हुये चेतावनी (Non-recordable) दी जाती है।



(अरविन्द कुमार शुक्ला)
पर रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/5225 /
II-14-72/17

जबलपुर, दिनांक 02/10/2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर म.प्र.,
2. रजिस्ट्रार प्रशा./ आई.एल./ न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
4. ज्वाइंट रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
5. असिस्टेंट रजिस्ट्रार..... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. अनुभाग अधि. स्था./ पेंशन/ लेखा/ न्यायिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
7. सहायक स्थापना/ पेंशन/ वेतन पत्रक/ सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
8. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
10. कु. हेमलता भारती, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रपिठ ।


(श्याम बिहारी वर्मा)
रजिस्ट्रार (आई.एल.)
पर